

दिनांक

आज्ञा पत्र

4.9.23

पत्रावली पेशा / वकील अपीलान्त 39
 वकील अपीलान्त के अन्तर्गत 3 वाक्य अर्पित
 पेशा करने की हिदायत दी गई / पत्रावली
 दिनांक 4.9.23 को पेश की

4.9.23

पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपस्थित
 पीठारीन अधिकारी महोदय आन.....
 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.....
 को पेश हों

20.11.23

पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपस्थित
 पीठारीन अधिकारी महोदय आन.....
 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.....
 को पेश हों।

31.1.24

पत्रावली पेशा / वकील अपीलान्त 39
 वाक्य अन्तर्गत 3 वाक्य पेश करने की
 हिदायत दी गई / पत्रावली दिनांक 22.3.24
 को पेश की

22.3.24

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज
 न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व
 आदेशानुसार दिनांक..... को पेश हों

23.5.24

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज
 न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व
 आदेशानुसार दिनांक..... को पेश हों

5-6.24

पत्रावली पेशा। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि
 न्यायिक कार्य से पूर्व तामील से श्रेय रेसोर्ट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
 अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 5 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
 कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेसोर्ट्स के रजिस्टर्ड नोटिस
 पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर
 नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
 की जाती है। निर्णय सारे दस्तावेज सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुभकर होकर न्याय
 से कम होकर बाद तारीख तकमील दस्तखिल वफतार हो।

सू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर